


| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस हुकम की<br>तामीर में जारी हुए                            |
|---------------|---|---|
| 06/11/2024    | <p>वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र पत्रावली आज तलब की जाकर पेश हुई। वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली दिनांक 28.06.2019 को निर्णित होकर दाखिल दफ्तर हो गई थी, परन्तु सहवन से दावा से अस्थाई निषेधाज्ञा देने में ही रेस्टोरेशन पेश कर दी गई थी। अतः पत्रावली पूर्व में ही निर्णित हो जाने के कारण दफ्तर दाखिल करने की कृपा करें।</p> <p>हमने वकील प्रार्थी की प्रार्थना पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली से संबंधित मूल पत्रावली जीसीएमएस मु0नं0 2017/00105 किस्म प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट का इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दिनांक 28.06.2019 को निर्णय पारित किया जा चुका है। जिस कारण इस पत्रावली को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">te</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/>चौथ का बरवाड़ा</p> |  |

